न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 116 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट	**बनाम**	**रेस्पोडेंटगण**
1. श्रीमती हीरोदेवी पत्नी जोधाराम उम्र 51 वर्ष 2. श्रीमती हीरोदेवी बेवा गंगाराम उम्र 61 वर्ष जाति विश्नोई निवासी नया कुआ तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर		1. शंकराराम पुत्र केसाराम उम्र 50 वर्ष 2. ळनुमानराम पुत्र केसाराम उम्र 48 वर्ष 3. श्रीमती तुलसी पत्नी केसाराम उम्र 70 वर्ष जाति विश्नोई निवासी नया कुआ हाल निवासी छोटू तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 04 / 2021 बअनवान हीरोंदेवी वगैरा बनाम शंकराराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 12.11.2021 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री हरीराम विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री खेताराम सैन रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—09.02.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि अपीलांटगण / प्रार्थी की खातेदारी की भूमि मौजा नया कुआ पटवार क्षेत्र मंगले की बेरी तहसील गुड़ामालानी के खसरा संख्या 76 रकबा 12.10 बीघा अवस्थित है। जिनके मध्य विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 82 / 3 रकबा 18 बीघा प्रार्थीगण के खेत व सड़क के मध्य पड़ते है। अपीलांटगण / प्रार्थीगण को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांटगण की अनुपस्थिति में कैम्प कोर्ट में एकपक्षीय पारित किया गया। जबकि कैम्प कोर्ट में पत्रावली को सुनवाई हेतु नियत करने की अपीलांटगण को सूचना/नोटिस नहीं दिये गये। कैम्प कोर्ट में केवल राजीनामा/आपसी सहमति से ही प्रकरण का निस्तारण किया जाता है जबकि हस्तगत प्रकरण में ऐसा कुछ भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका फर्द को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया उक्त मौका फर्द को मौके पर जाये बिना कैम्प कोर्ट में बैठे बैठे ही अपीलांटगण की अनुपस्थिति में तैयार कर मातहत अदालत में पेश की गई। अपीलांटस को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता अपीलांटस/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर खसरा संख्या 462 से प्रस्तावित रास्ते का नक्शा परिशिष्ठ "अ" के अनुसार रास्ता दिलाये जाने का आदेश फरमावे।

रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को कैम्प कोर्ट में उपस्थिति होने हेतु पर्याप्त सूचना दी गई उसके बावजूद जानबुझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थिति नहीं हुए। धारा 251ए में नया रास्ता कायम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु **absolutenecessary End absence of alternative means of access is proved** है। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ता कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। और जब किसी काश्तकार के पास **alternative means of access** मौजूद है तो वह इस धारा के अन्तर्गत सुविधाजनक रास्ते के नाम पर नये रास्ते की कायम की मांग नहीं कर सकता है। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विस्तृत विवेचन अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अपीलांटस द्वारा रेस्पोडेंटस को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अतः अपीलांटस की अपील को खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांटगण/प्रार्थी की खातेदारी की भूमि मौजा नया कुआ पटवार क्षेत्र मंगले की बेरी तहसील गुड़ामालानी के खसरा संख्या 76 रकबा 12.10 बीघा में आने जाने हेतु अपीलांटस ने हस्तगत आवेदन न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जबकि अपीलांटस का संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 77 छोटू से गुड़ामालानी जाने वाली सड़क से जुड़ा हुआ है एवं दोनों खसरा संख्या 76 व 77 की सीमा लगती है। इससे साफ जाहिर होता है कि अपीलांटस के खातेदारी में आने–जाने के लिये रास्ता उपलब्ध है। धारा 251ए में नया रास्ता कायम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु **absolutenecessary End absence of alternative means of access is proved** है। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ता कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। और जब किसी काश्तकार के पास **alternative means of access** मौजूद है तो वह इस धारा के अन्तर्गत सुविधाजनक रास्ते के नाम पर नये रास्ते की कायम की मांग नहीं कर सकता है। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी खातेदार को परेशान तंग नहीं किया जा सकता। अपीलांटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता नहीं है तथा रास्ते का अन्य विकल्प उपलब्ध होने से हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर हस्तगत अपील पेश की गई। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटस की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 04/2021 बअनवान हीरोंदेवी वगैरा बनाम शंकराराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 12.11.2021 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 09.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर